संख्या- / /X-2-2014-12(28)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून** **दिनांक 15 जुलाई, 2014**

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-30 (अनुसूचित जनजाति उप योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आयोजनागत पक्ष की पूंजीगत पक्ष की योजना "बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश सं0 80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014-15 दि0 23 अप्रैल, 2014 में दिये गये निर्देशों के आलोक में एवं उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के प0सं0 नि0-1975/2-36(अनु0जा0उप योजना), दि0 13 जून, 2014 में उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान सं0-30 (अनुसूचित जाति उप योजना) की आयोजनागत पक्ष की **"बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" (पूंजीगत पक्ष)** योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष ₹ 1,00,00,000/- (₹ एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष ₹ 84,75,000/- (₹चौरासी लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दि0 18 मार्च, 2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। साथ ही सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही विभिन्न मदों में व्यय किया जाय।
2. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 (लेखा नियम) भाग-1 एवं खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।
4. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
7. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
8. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
9. आंगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
10. संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यो को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है। यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत किया जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय शासन को सूचित किया जाय।

क्रमशः.......2

1750(A)

शासनादेश संख्या X–2–2014–12(28)2012 दि0 15 जुलाई, 2014 का संलग्नक अनुदान सं0–30 (अनुसूचित जाति उप योजना) की आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण" (पूंजीगत पक्ष) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष मानक मद/प्रभाग/वन मार्गवार वित्तीय/भौतिक स्वीकृति

मानक मद–24 – वृहद् निर्माण

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	प्रभाग का नाम	योजना – 4406–01–102–0300 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण				
		मानक मद–24 वृहद् निर्माण				
		वृक्षारोपण कार्य		अग्रिम मृदा कार्य		योग
		भौतिक(है0)	वित्तीय	भौतिक(है0)	वित्तीय	वित्तीय
1.	भू0सं0 नैनीताल	0	0	30	960	960
2	भू0सं0 रानीखेत	0	0	30	984	984
3	भू0सं0 लैन्सडाउन	0	0	15	450	450
4	भू0सं0 कालसी	0	0	20	700	700
5	सि0सो0 पौड़ी	36	684	25	725	1409
6	भू0सं0 उत्तरकाशी	10	170	48	1680	1850
7	टिहरी–डैम प्रथम	10	147	30	925	1072
8	टिहरी–डैम द्वितीय	0	0	30	1050	1050
	योग–	56	1001	228	7474	8475
	उपलब्ध आय–व्ययक					8475

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ चौरासी लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20142015

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 1750(A)X-2-2014-12(28)/2012

अलोटमेंट आई डी - S1407300067

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -15-Jul-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी एवं वन्य जीवों पर पूँजीगत परिव्यय 01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी 03 - बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

00 - बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	8475000	8475000
	0	**8475000**	**8475000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 8475000